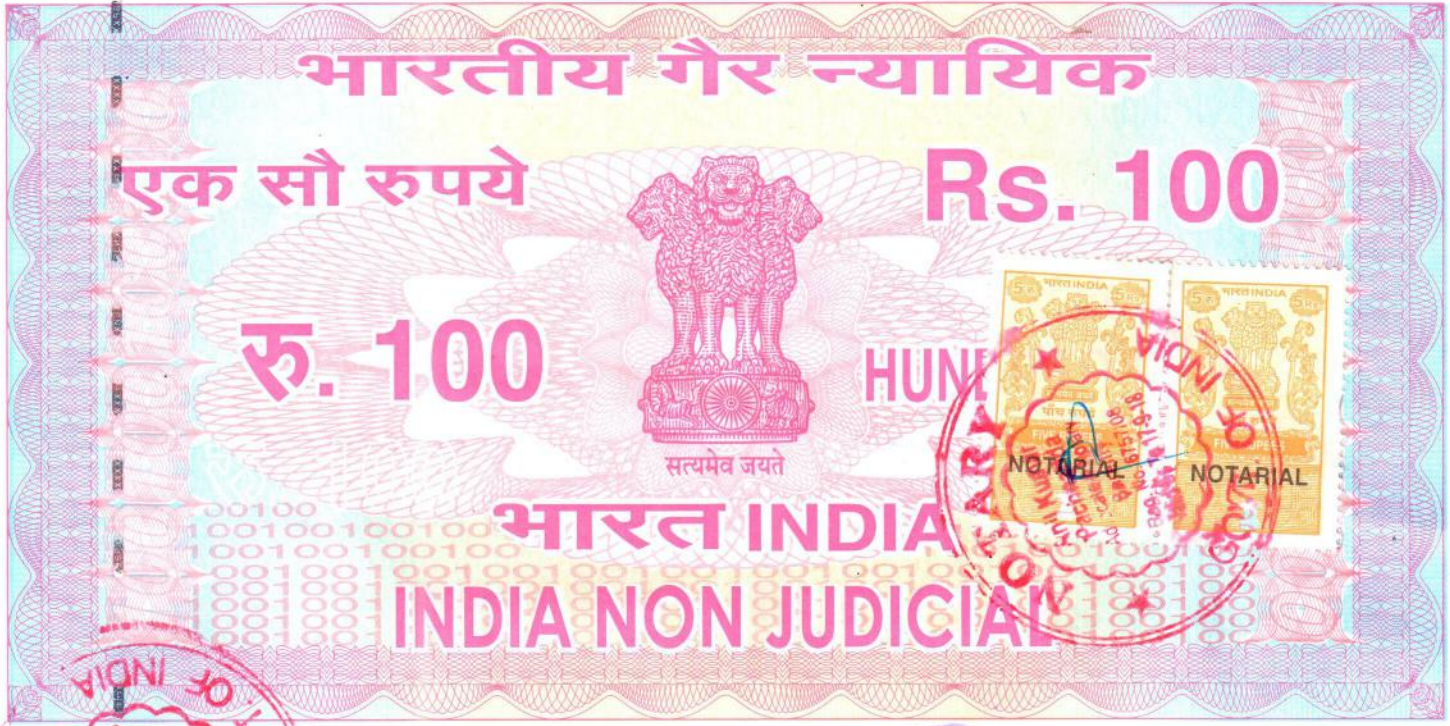




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DV 798266

हम कि प्राइम प्रापर्टीज द्वारा पार्टनर हरप्रीत सिंह पुत्र श्री प्रतिपाल सिंह निवासी
17-ए, मॉडल टाउन बरेली (भूस्वामी)प्रथम पक्ष,

इन्द्रजीत कौर पत्नी श्री प्रतिपाल सिंह निवासी 17-ए, मॉडल टाउन, बरेली
(भूस्वामी)द्वितीय पक्ष,

व

हरप्रीत सिंह पुत्र श्री प्रतिपाल सिंह निवासी 17-ए, मॉडल टाउन, बरेली
(भूस्वामी)तृतीय पक्ष,

तथा

प्रतिपाल सिंह पुत्र स्व0 केसर सिंह निवासी 17-ए, मॉडल टाउन, बरेली
(सहखातेदार)चतुर्थ पक्ष।

यह कि हम पक्षकार अर्थात प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष व तृतीय पक्ष आपस में
मिलकर पार्क लाइफ नामक कालोनी जो ग्राम करगैना तह0 व जिला बरेली में स्थित

क्रमशः.....



है और बी०डी०ए० से स्वीकृत है, जिसका ले आउट नं०— 139/02/एल०ओ०/14 है, को विकसित कर रहे हैं। यह कालोनी ग्राम करगौना तह० व जिला बरेली के गाटा सं० 273, 275, 276 व 274 पर 17536 वर्ग मी० क्षेत्रफल में स्थित है, जिसके भू-स्वामियों अर्थात् पक्षकारों के मध्य निम्नलिखित शर्तों के आधार पर समझौता होना पाया गया है।



1. यह कि प्रथम पक्ष गाटा संख्या-274 क्षेत्रफल 5120 वर्ग मी० भूमि का मालिक है व गाटा सं० 273, 275 व 276 क्षेत्रफल 14670 मी० भूमि में से 2/3 भाग अर्थात् 9780 वर्ग मी० भूमि का मालिक है और बैनामों का निष्पादन करते समय अपनी भूमि के मूल्य की अनुपातिक धनराशि का चैक प्राप्त करने का हकदार होगा।
2. यह कि द्वितीय पक्ष गाटा सं० 273, 275 व 276 क्षेत्रफल 14670 वर्ग मी० भूमि में से 1/6 भाग अर्थात् 2445 वर्ग मी० भूमि की मालिक है और बैनामा निष्पादन करते समय अपनी भूमि के मूल्य की अनुपातिक धनराशि का चैक प्राप्त करने का हकदार होगा।
3. यह कि तृतीय पक्षकार व चतुर्थ पक्षकार ने गाटा सं० 273, 275 व 276 का बैनामा शामिल में 1/12 भाग का कराया था अर्थात् तृतीय पक्ष 1/24 भाग व चतुर्थ पक्ष 1/24 भाग के बराबर-बराबर के मालिक हैं परन्तु इस पार्क लाईफ नामक कालोनी में तृतीय पक्ष की मात्र 191 वर्ग मी० भूमि को शामिल किया गया है। बाकी शेष भूमि तृतीय पक्ष व चतुर्थ पक्ष की इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है और जो स्वीकृत मानचित्र के पूर्वी, उत्तरी कोने पर स्वीकृत मानचित्र के बाहर है जिससे कभी भी पक्षकार को कोई वास्ता व ताल्लुक नहीं रहेगा और वह न इस प्रोजेक्ट में विक्रय की जायेगी। तृतीय पक्ष की 191 वर्ग मी० भूमि शामिल करने में चतुर्थ पक्ष को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

Aug

Indrajit Kaur

Aug

Prithvi

4. यह कि पार्क लाइफ नामक कालोनी के बैनामों का पंजीकरण हम तीनों पक्षकार अर्थात् प्रथम पक्ष प्राइम प्रापर्टीज, द्वितीय पक्ष इन्द्रजीत कौर व तृतीय पक्ष हरप्रीत सिंह संयुक्त रूप से करेंगे व उपरोक्त तीनों पक्षकार अपनी-अपनी भूमि का अनुपातिक अंश अर्थात् प्रथम पक्ष प्राइम प्रापर्टीज 85 प्रतिशत (पिच्सासी प्रतिशत) द्वितीय पक्ष इन्द्रजीत कौर 14 प्रतिशत (चौदह प्रतिशत) व तृतीय पक्ष हरप्रीत सिंह 1 प्रतिशत (एक प्रतिशत) की धनराशि प्राप्त करेंगे। पक्षकार प्रत्येक प्लॉट के विक्रय में अपने-अपने भाग की विक्रय मूल्य राशि का खुलासा करके प्रत्येक पक्ष के नाम की धनराशि का चैक बनवाने हेतु सूचित करेंगे।

अतः यह आपसी समझौतानामा आज दिनांक 21.08.2017 को लिख दिया जाकि सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवे।

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

गवाह—

गवाह—

ATTESTED

Anil Kumar Pachnanda
Anil Kumar Pachnanda
Regd No. 6757/08 Notary/Advocate
Jail Road Court Bareilly Valid U.P. To 17-9-18